राज्य द्वारा एडीपीओ।

ओर से मनीराम उपस्थित गुर्जर। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री आर०पी० फरियादी मनोज एवं आहत दुर्गेश की प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत

家 दृष्टात Afcons Infrastructure private स्थि गए निदेश के अनुसार मध्यस्थता विषय वस्तु को ध्यान में रखते के मध्य विवाद का पूर्ण रूप 事。 Company Construction के मध्य जभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय Vs Cheriyan Varkey C Limited (2010)8 SSC 24 # लिए एक उपयुक्त प्रकरण है। Limited

मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित जे०एम०एफ०सी० गोहद का चुनाव किया है। मध्यस्थ श्री गोपेश गर्ग, जे०एम०एफ०सी० उभयपक्षों से

/असफल जो भी हो आगामी नियत दिन्ह E उभय पक्षों व उनके अधिवनताओं के हस्तिक्षर जाये। मध्यस्थ को निर्देशित किया ज भुवा अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश वे मध्यस्थता का परिणाम सफल व उपरोक्त मध्यस्थ कर मध्यस्थता हेतु तक सूचित करें। 多

मध्यस्थ के समक्ष प्रशिक्षित बजे स्वतः उप० रहे। अधिवक्तागण के अप्रमयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय आज दिनांक 16.11.16 को दिन में 2:30

कार्यवाही के प्रतिवेदन प्रकरण आगामी दिनांक 21.12.16 को मीडियेशन

प्रस्तुती हेतु पेश हो।

Judicial Magistrate Frist Class Cohadalistt Bainda M.F.

पुनश्च:

मध्यस्थता न्यायालय से मध्यस्थता कार्यवाही सफल होने की सूचना प्राप्त उभयपक्ष पूर्वतत।

छायाचित्र सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी पक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री बी० एस० 320 गुजर द्वारा की गर्ड अतर्गत धारा 320–2 एवं आहत दुर्गेश की ओर से धारा 320–4 फरियादी के हस्त आवेदन पत्र, अतर्गत धारा राजीनामा हेतु अनुमित अधिवनता श्री आर०पी० राजीनामा आवेदन उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया। बाबत् मय कि अभियुक्त की पहचान उसके राजीनामा हेतु अनुमिति 五 की ओर फरियादी गुजर एव 로0对0전0

उसके पिता मनीरा दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबध अरि दुर्गश की अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, एवं आहत फिर्यादी मनोज

Order or proceeding with Signal

सक्षम आवेदक राजीनामा करने 10 किया मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट नाबालिग दुर्गश का पिता होकर उसकी ओर से

प्रशासन अनुमति किया 15 पक्षकारों 7 न्यायालय की आपराधिक स्वीकार भाग-काउउपट, 506 शमनीय आवेदन 18 40 रखने 506 द्वारा रखते हुये राजीनामा अनुमिति शाति बनाये अभियुक्त पर भा0द्0वि की धारा 323 अपराध का अभियोग है जिसमे से धारा शमनीय है जबिक शेष स्वयं फरियादी एवं आहत संबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बना न्यायोचित दर्शित होता है। को ध्यान मे दण्डनीय अपराध उददेश्य

आरोपें भारमुक्त किए जाते 1015 जिसका अपराध के स्वीकार किया 加 नामि 18 भाठद्0वि० Kh13b क प्रदान अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र P CV अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिमृति भाग-अनुमति एवं 506 आधार पर उपशामन की अभियुक्त को धारा 323 दो काउण्ट राजीनामा के

प्रकरण मे कोई संपत्ति जब्त नहीं।

आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती

आमेलेखार **Jayab**K प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख प्रमित हो Judicins Magi **GREH**